फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

शंकरलाल वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

नं0 :–195/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.05.2024	पत्रावली आज कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। कोर्ट कैम्प की सूचना अधिवक्ता संघ को पूर्व में दी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/एलआर/24/1398 दिनांक 29.04.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम डांगरवाडा खुर्द, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 225 खसरा नम्बर 624/233 रकबा 0.0550है0, खसरा नम्बर 625/233 रकबा 0.1783है0, खसरा नम्बर 628/171 रकबा 0.2000है0, खसरा नम्बर 630/29 रकबा 0.2334है0, एवं खाता सं0 227 खसरा नम्बर 621/233 रकबा 0.2334है0, खसरा नम्बर 627/171 रकबा 0.2000है0, खसर नम्बर 632/29 रकबा 0.2333है0 एवं खाता सं0 226 खसरा नम्बर 622/233 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 626/233 रकबा 0.2033है0, खसरा नम्बर 629/171 रकबा 0.2000है0, खसरा नम्बर 631/29 रकबा 0.2333है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	